उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिवीजन वाद संख्या – 31/2023

मनिता देवी बनाम् राज्य एवं भोला ठाकुर वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01/09/2023	यह वाद अपीलार्थी मनिता देवी, पति–रामेश्वर यादव, ग्राम–गरसुल्ला, थाना–बड़कागॉव, जिला–हजारीबाग द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ का न्यायालय में दायर दाखिल खारिज (ऑनलाईन) अपील वाद संख्या–85/2021–22 भोला ठाकुर वगै० बनाम् अंचल अधिकारी, माण्डू एवं अन्य में दिनांक–19.12.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act-1973 के तहत् प्रारम्भ किया गया। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–हथमारा थाना सं०–148 थाना–माण्डू के खाता नं०–88 प्लॉट नं०–189, कुल रकवा–1.05 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिवक्ता को सुना, समर्पित आवेदन/कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–हथमारा थाना सं०–148 थाना–माण्डू के खाता नं०–88 प्लॉट नं०–189, कुल रकवा–1.05 ए० भूमि सर्वे खतियान में लेदो महतो के नाम से रैयती दर्ज है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–हथमारा थाना सं०–148 थाना–माण्डू के खाता नं०–88 प्लॉट नं०–189, कुल रकवा–1.05 ए० भूमि खतियान रैयत के वारिसन गोकुल महतो के द्वारा निबंधित केवाला संख्या–8038, दिनांक–13.06.1986 से टेकलाल महतो पिता–काशी महतो मौजा–हथमारा को बिक्री कर दिये। टेकलाल महतो के नाम से दाखिल खारिज वाद संख्या–1631/2011–12 से अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा दाखिल खारिज कर लगान रसीद निर्गत होने लगा। टेकलाल महतो ने मौजा–हथमारा थाना सं०–148 थाना–माण्डू के खाता नं०–88 प्लॉट नं०–189, कुल रकवा–1.05 ए० भूमि निबंधित केवाला संख्या–1337, दिनांक–23.07.2016 से मनिता देवी को बिक्री कर दिये। जिसे अंचल अधिकारी, माण्डू ने दाखिल खारिज वाद संख्या–191/2021–22 दिनांक–08.07.2021 को मनिता देवी के नाम से	

दाखिल खारिज स्वीकृत कर लगान रसीद निर्गत किया गया। पुनः गोकुल महतो ने दिनांक–25.11.2011 को उसी भूमि को दुबारा भोला ठाकुर एवं मंजु देवी (गोकुल महतो की पुतोह) को बिक्री कर दिये। तत्पश्चात टेकलाल महतो ने एक स्वत्व वाद संख्या–181/2012 दायर किया जो अभी भी व्यवहार न्यायालय में मामला लंबित है। इसी बीच द्वितीय पक्ष के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में अंचल अधिकारी, माण्डू के दाखिल खारिज वाद संख्या–191/2021–22, दिनांक–08.07.2021 के विरूद्ध दाखिल खारिज अपील संख्या–85/2021–22 दायर किया गया। जिसे भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ ने अपील आवेदन स्वीकृत कर दिया गया, जो नियमसंगत नहीं है। इन्होंने रिवीजन आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–85/2021–22 में पारित आदेश नियमसंगत है। रिवीजनकर्ता के द्वारा अपने आवेदन के पारा नं०–3 में अंकित किया है कि आवेदक का दाखिल खारिज वाद संख्या–1631/2011–12 स्वीकृत है। जबकी पूर्व से ही विपक्षी का दाखिल खारिज वाद संख्या–953/2011–12 से स्वीकृत है। इस प्रकार विपक्षी का दाखिल खारिज पहले ही हुआ। टेकलाल महतो द्वारा जो केवाला मनिता देवी को किया गया है उससे पहले से ही व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद संख्या–181/2012 दायर है। इसलिए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–85/2021–22 में दिनांक–19.12.2022 को पारित आदेश नियमसंगत है। उन्होंने रिवीजन आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय, रामगढ़ में स्वत्व वाद लंबित है। साथ ही साथ भूमि पर विवाद है। इसलिए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दिनांक–19.12.2022 पारित आदेश नियमसंगत प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में स्पष्ट है कि मौजा–हथमारा थाना सं०–148 थाना–माण्डू के खाता नं०–88 प्लॉट नं०–189, कुल रकवा–1.05 ए० भूमि सर्वे खतियान में लेदो महतो के नाम से रैयती दर्ज है। रिवीजनकर्ता का कहना है कि उक्त भूमि निबंधित केवाला संख्या–1335 दिनांक–23.07.2016 से प्राप्त है। विपक्षी का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें 2011 को ही प्राप्त है। अर्थात एक ही भूमि को दो बार अलग–अलग व्यक्तियों को बिक्री की गई है। एवं अंचल अधिकारी, माण्डू के द्वारा दोनों व्यक्तियो के नाम से अलग–अलग दाखिल खारिज स्वीकृत की गई है जो नियम विरूद्ध है। साथ ही साथ उक्त भूमि पर व्यवहार न्यायालय में टाईटल सूट संख्या–181/2012 लंबित है।

इसलिए जब तक किसी भी के पक्ष में स्वत्व निर्धारण नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार का आदेश पारित करना नियमसंगत नहीं है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज (ऑनलाईन) अपील वाद संख्या–85/2021–22 भोला ठाकुर वगै० बनाम् अंचल अधिकारी, माण्डू एवं अन्य में दिनांक–19.12.2022 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए रिवीजन आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 01/09/23
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 01/09/23
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2023.12.06 15:40:03 +05:30
Location: 192.168.0.10